

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय संत रविदास नगर भदोही ।



सम्बद्ध – महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी ।



विवरणिका (2021 – 2022)

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय—

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भदोही, उत्तर प्रदेश शासन के सृजनात्मक उपक्रम का सकारात्मक प्रतिफल है। उच्च शिक्षा के जिस मानक एवं आदर्श केंद्र के रूप में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी, यह महाविद्यालय उसी गौरवशाली परंपरा का एक पड़ाव है। यह महाविद्यालय, काशी और प्रयाग के मध्य पावन गंगा के सानिध्य में अवस्थित सीता की तपोभूमि सीतामढ़ी एवं शिवस्थली सेमराध और विद्या वैभव से विभूषित ज्ञानपुर जैसे तीर्थ स्थलों के समीप, अपने कालीन उद्योग और कला के लिए विश्वविख्यात कालीन नगरी भदोही में, जनपद भदोही के मुख्यालय ज्ञानपुर से 13 किलोमीटर तथा भदोही रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर बाईपास मार्ग पर ग्राम रामरायपुर में स्थित है। इस राजकीय महाविद्यालय की स्थापना महामहिम श्री राज्यपाल कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश की दिनांक 7 अक्टूबर 1999 कि राजाज्ञा संख्या 2373 के अधीन की गई। कुलाधिपति महोदय द्वारा राजकीय महाविद्यालय भदोही को कला संकाय में स्नातक स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा गणित विषयों की वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से अस्थाई संबद्धता की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही शासन के पत्रांक संख्या 2626 दिनांक 21/01/2000 के अधीन प्राचार्य, कला संकाय व विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के प्रवक्ता पदों, पुस्तकालयाध्यक्ष, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों का सृजन किया गया।

उत्तरोत्तर विकास करते हुए वर्तमान समय में यह महाविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से संबद्ध व स्थायी मान्यता प्राप्त है। विज्ञान संकाय में 10 तथा कला संकाय में समाजशास्त्र के पी.जी. होने के कारण 09 प्रवक्ता पद सृजित होंगे। वर्ष 2018 से कला वर्ग में शारीरिक शिक्षा विषय की मान्यता प्राप्त कर कुल 07 विषय संचालित हैं। महाविद्यालय अपने निजी भवन जिनमें प्रशासनिक भवन, कला संकाय भवन, विज्ञान संकाय भवन (प्रयोगशालाओं सहित), कम्प्यूटर लैब, स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन हेतु रूसा अनुदानित भवन एवं कम्प्यूटर सेंटर, पुस्तकालय, खेलकूद मैदान आदि से समृद्ध है।

स्थायी मान्यता तथा उत्कृष्ट स्वकेन्द्रीय विश्वविद्यालयी वार्षिक परीक्षा परिणाम के साथ यह महाविद्यालय यूजीसी के 2-एफ व 12-बी की श्रेणी में सूचीबद्ध है। यह महाविद्यालय आंतरिक गुणवत्ता की दृष्टि से यूजीसी नैक के सभी मानदंडों को पूर्ण करने में सक्षम है, उ. प्र. शासन द्वारा प्रायोजित कई अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया है जिसके आधार पर उ.प्र. शासन, यूजीसी तथा रूसा द्वारा समय-समय पर अनेक अनुदान प्राप्त हो रहे हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय ने उ.प्र. शासन द्वारा

प्रायोजित कई राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया है। महाविद्यालय में इण्टरनेट, वाई-फाई, वेबसाइट- www.spmgdcbhadohi.org.in, ई-पुस्तकालय एवं स्वचालित पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है। पूरा महाविद्यालय परिसर कक्षाओं सहित सी.सी.टी.वी. कैमरे से युक्त है। अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त स्मार्ट कक्षाएं तथा अबाधित विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर ऊर्जा प्लांट स्थापित किये गये हैं। रोवर्स/रेंजर्स तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाइयां भी संचालित हैं। महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा विभिन्न ई-माध्यमों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। सम्प्रति महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, सात दिवसीय ई-कार्यशाला तथा तीन दिवसीय ई लर्निंग एवं टीचिंग संबंधी ई-कार्यशाला का भी सफल आयोजन किया गया है। यह महाविद्यालय छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर प्रयासरत, कृत संकल्प और अग्रसर है।

प्रवेश आवेदन सूचना

प्रवेश से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियाँ

- प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट पर भरने की तिथि 14 अगस्त 2021 से 30 अगस्त 2021.
- मेरिट लिस्ट का वेबसाइट पर प्रकाशन 31 अगस्त 2021.
- काउन्सलिंग की तिथि 02 सितम्बर 2021 से प्रारम्भ

आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश :-

- सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही भरे जायेंगे ।
- ऑनलाइन आवेदन से पूर्व प्रवेश विवरणिका का भलीभांति अध्ययन कर लें ।
- आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.spmgdcbhadohi.org.in पर 100/- पंजीकरण शुल्क जमा कर भरना होगा ।

- पंजीकरण संख्या मिल जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है एक पंजीकरण संख्या से केवल एक फॉर्म भरा जा सकता है । किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर दुबारा पंजीकरण कराना होगा ।
- प्रवेश आवेदन फॉर्म भरने के लिए सभी सम्बन्धित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ई-मेल आई.डी, फोटो एवं हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी ।
- सभी संलग्नको जैसे हाई स्कूल एवं इन्टर मीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र आदि की स्कैन्ड कॉपी अवश्य संलग्न करें ।
- प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट महाविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अतः वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें ।
- अर्ह अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जायेगा जिसकी सूचना वेबसाइट पर दी जायेगी ।
- काउंसलिंग हेतु बुलाये गए अर्ह(योग्य) अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तथा समस्त संलग्नको की स्वप्रमाणित छाया प्रति एवं मूल प्रति के साथ प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा ।
- प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा होगा ।
- शुल्क जमा की आनलाईन प्राप्ति रसीद महाविद्यालय के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी ।
- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्नको की स्वप्रमाणित छाया प्रति अवश्य जमा करें।
 - हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
 - इन्टर मीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
 - जाति प्रमाण पत्र एवं आरक्षण सम्बन्धी दावें का प्रमाण पत्र
 - दिव्यांग प्रमाण पत्र
 - अधिभार सम्बन्धी प्रमाण पत्र (स्काउट गाइड, खेल कूद, उच्च शिक्षा अधिकारी, कर्मचारी के पाल्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित)
 - आधार कार्ड
 - स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
 - चरित्र प्रमाण पत्र

● निवास प्रमाण पत्र

भारांको की श्रेणी व अंक—

1. राष्ट्रीय स्तरीय खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को
प्रथम स्थान आने पर –15 अंक
द्वितीय स्थान आने पर –10 अंक
तृतीय स्थान आने पर –05 अंक
2. राज्य स्तरीय खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को
प्रथम स्थान आने पर –10 अंक
द्वितीय स्थान आने पर –07 अंक
तृतीय स्थान आने पर –05 अंक
3. जिला/मण्डल स्तरीय खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को
प्रथम स्थान आने पर –10 अंक
द्वितीय स्थान आने पर –07 अंक
तृतीय स्थान आने पर –05 अंक
4. NCC में सी प्रमाण पत्र –15 अंक
NCC में बी प्रमाण पत्र –10 अंक
5. स्काउट गाइड का राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी –15 अंक
स्काउट गाइड का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी –10 अंक
स्काउट गाइड का गुरुपद/ध्रुवपद प्राप्त अभ्यर्थी –05 अंक

नोट—

1. किसी भी दशा में 20 से अधिक भारांक देय नहीं होगा।
2. एक ही श्रेणी में दो भारांक देय नहीं होगा।
3. काउंसिलिंग के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर पाने की दशा में भारांक सम्बन्धी दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।

प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम—

1. इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 2 वर्ष से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए 2019 से पूर्व उत्तीर्ण अभ्यर्थी का प्रवेश संभव नहीं होगा ।
2. अन्तराल वाले अभ्यर्थी को अन्तराल अवधि का नोटरी द्वारा शपथ पत्र देना होगा कि अन्तराल की अवधि में अन्यत्र अध्ययनरत नहीं था ।
3. उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों के माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को अनुपलब्धता पर स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश पर विचार करना संभव हो सकेगा ।
4. इस महाविद्यालय / अन्य राजकीय महाविद्यालय / उच्च शिक्षा निदेशालय / क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के पाल्य को विभागीय नियमों के अनुसार वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।
5. उ०प्र० स्टेट यू० पी० एक्ट 1973 की अनु. 8 धारा45 के अनुसार कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक होने पर किसी भी छात्र/छात्रा को निष्कासित किया जा सकता है ।
6. विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 69 के अनुसार किसी भी न्यायालय में प्रवेश सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है ।
7. यह एक राजकीय महाविद्यालय है, जो शासन के आदेशों, नियमों एवं अध्यादेशों से संचालित होता है । इन नियमों के विपरीत किसी भी प्रकार की छूट प्रवेशार्थी को नहीं दी जा सकती है ।
8. आरक्षण शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप होगा । जो कि वर्तमान में 40% सामान्य, 27% ओ.बी.सी., 21% एस.सी., 2% एस.टी. तथा 10% ई.डब्लू. एस. है ।
9. बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इन्टरमीडिएट में 40% तथा बी.एस.सी. में 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है । (अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को अर्हता अंक में 5% की छूट दी जायेगी)
10. अभ्यर्थी सोच विचार कर विषयों का चयन करें / प्रवेश के पश्चात विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
11. विज्ञान वर्ग के छात्रों को कला वर्ग में सीटें रिक्त रहने पर प्रवेश समिति के निर्णयानुसार प्रवेश दिया जायेगा ।

12. काउंसलिंग के समय प्रवेशार्थी का भौतिक रूप से समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है । अन्यथा प्रवेश सम्बन्धी दावा निरस्त कर दिया जायेगा ।
13. काउंसलिंग के समय प्रवेशार्थी को स्थानान्तरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा ।
14. शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन किये जाने पर प्रवेश समिति भी प्रवेश सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन कर सकती है ।
15. महाविद्यालय परिसर में काउंसलिंग के समय बिना मास्क के उपस्थित होना वर्जित है । अतः महाविद्यालय परिसर में नाक और मुँह को मास्क से ढककर ही उपस्थित हों ।
16. महाविद्यालय परिसर में काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने पर अनावश्यक रूप से इधर-उधर घूमना और भीड़ लगाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है । महाविद्यालय परिसर में आपस में दो गज की शारीरिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य है ।
17. एक वर्ष अन्तराल (गैप) वाले छात्र/छात्राओं को उनके इण्टरमीडिएट में प्राप्त कुल अंको में से 5 तथा दो वर्ष के अन्तराल में 10 अंक काटकर मेरिट सूची में सम्मिलित किया जायेगा ।

प्रवेश हेतु अनर्ह (अयोग्य) होंगे यदि—

1. इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 2 वर्ष से अधिक का अन्तराल है ।
2. किसी कक्षा में प्रवेश लेकर उसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा परीक्षा छोड़ देने वाले विद्यार्थियों को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
3. संकाय अथवा विषय बदल कर उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
4. जिन छात्रों पर भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अंतर्गत किसी अभियोग में मुकदमा चल रहा हो या दण्ड प्राप्त हुआ हो, उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
5. अपूर्ण आवेदन पत्र, गलत सूचना देने या तथ्य छिपाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।
6. अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर प्रवेश सम्बन्धी दावा निरस्त कर दिया जायेगा ।

7. मास्क न लगाने पर तथा शारीरिक दूरी का पालन न करने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

पाठ्य विषय

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा निर्धारित नियमानुसार महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्य क्रम एवं स्नातकोत्तर स्तर पर द्विवर्षीय पाठ्य क्रम के अन्तर्गत निम्न लिखित विषयों की व्यवस्था है –

कला संकाय (बी.ए.)

1–हिंदी साहित्य, 2–अंग्रेजी साहित्य, 3–संस्कृत साहित्य, 4–भूगोल, 5–समाजशास्त्र, 6–इतिहास (मध्यकाल एवं आधुनिक काल), 7–शारीरिक शिक्षा

• छात्रों को तीन विषय निम्नलिखित सात विषय समूहों में से किसी एक विषय समूह के रूप में आवंटित किये जायेंगे। प्रवेश आवेदन पत्र में छात्रों को सातों विषय समूह वरीयता के क्रम में भरना होगा।

विषय समूह–

- 1– हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, शारीरिक शिक्षा
- 2– हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल
- 3– हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास (मध्यकाल एवं आधुनिक काल)
- 4– अंग्रेजी साहित्य, शारीरिक शिक्षा, समाजशास्त्र
- 5– शारीरिक शिक्षा, संस्कृत साहित्य, इतिहास (मध्यकाल एवं आधुनिक काल)
- 6– अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, समाजशास्त्र
- 7– भूगोल, संस्कृत साहित्य, इतिहास (मध्यकाल एवं आधुनिक काल)

- साहित्यिक विषयों हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत में से दो से अधिक विषय नहीं लिए जा सकते।
- छात्रों को विषय का आवंटन मेरिट के आधार पर होगा मेरिट क्रम व स्थान उपलब्ध न होने पर अन्य विषय समूहों में प्रवेश दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रवेश समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
- तृतीय वर्ष के छात्रों को पूर्व पठित तीन विषयों में से केवल दो का चयन करना होगा।

कला संकाय (एम.ए.)

1-समाजशास्त्र,

विज्ञान संकाय (बी.एस-सी.)

अ) गणित वर्ग – 1-भौतिक विज्ञान,
2-गणित,
3-रसायन विज्ञान

ब) जीव विज्ञान वर्ग – 1-जन्तु विज्ञान,
2-वनस्पति विज्ञान,
3-रसायन विज्ञान

प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटें

बी.ए. – 420 सीटें
बी.एस-सी. गणित वर्ग – 120 सीटें
बी.एस-सी. जीव विज्ञान वर्ग – 120 सीटें
(एम.ए.)-समाजशास्त्र – 60 सीटें

छात्रों के लिए विशेष निर्देश :

1. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित यूनियफार्म में ही परिसर में प्रवेश करें तथा नाक और मुँह को मास्क से ढकें। छात्र/छात्रा को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य है।
2. प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन अपना परिचय पत्र साथ लायेगा तथा शास्ता मंडल द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
3. विद्यार्थी अपने साइकिल को स्टैंड में खड़ा करें। मोटर साइकिल या स्कूटर से आने वाले छात्र/छात्रा ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति आवेदन पत्र के साथ लगाये तथा हेलमेट का प्रयोग करें।
4. सह पाठियों से अशिष्ट व्यवहार एवं अनुचित व्यवहार तथा रैगिंग में लिप्त पाये जाने वाले आरोपित विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा विधिक कार्यवाही की जाएगी।

5. महाविद्यालय में व्यर्थ घूमना, बाहरी व्यक्ति को लाना, प्राचार्य की अनुमति के बिना कोई आयोजन करना प्रतिबंधित है तथा सहपाठियों से दो गज की शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
6. महाविद्यालय की शांति भंग करना, धूम्रपान करना, नशीलें प्रदार्थों का सेवन, पान मसाला खाना, शोर मचाना, अस्त्र-शास्त्र लाना, आदि पूर्णतया वर्जित है।
7. महाविद्यालय परिसर में गन्दगी फैलाना, भवन एवं दीवारों को गन्दा करना, महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करना दण्डनीय अपराध माना जाएगा।
8. महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार को दंडनीय अपराध माना जायेगा जिसमें निष्कासन भी सम्मिलित है।
9. कोई भी छात्र/छात्रा प्रवेश लेने मात्र से परीक्षा देने का अधिकारी नहीं हो जायेगा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार (संभवतः नवम्बर अन्तिम सप्ताह) परीक्षा आवेदन पत्र पूरित कर महाविद्यालय में जमा करने के उपरान्त ही छात्र परीक्षा दे सकेगा।
10. यदि प्रत्येक कक्षा में छात्र की उपस्थिति 75% से कम रहती है तो वह परीक्षा देने से वंचित रह जायेगा।
11. महाविद्यालय में नकल विहीन परीक्षा होती है।
12. महाविद्यालय में होने वाले पाठ्येत्तर कार्यक्रमों जैसे गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, गाँधी जयंती, वार्षिकोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह में उपस्थिति अनिवार्य है।

शुल्क विवरण

बी.ए. प्रथम वर्ष

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (बिना प्रायोगिक विषय)	—	3058
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (बिना प्रायोगिक विषय)	—	2956
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	—	3318
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	—	3186
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	—	3578
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	—	3446

बी.ए. द्वितीय वर्ष

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (बिना प्रायोगिक विषय)	—	2928
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (बिना प्रायोगिक विषय)	—	2796
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	—	3168
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	—	3036
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	—	3408
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	—	3276

बी.ए. तृतीय वर्ष

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (बिना प्रायोगिक विषय)	—	2933
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (बिना प्रायोगिक विषय)	—	2801
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	—	3173
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	—	3041
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	—	3413
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	—	3281

बी.एस.सी. प्रथम वर्ष

गणित वर्ग

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र	—	3578
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र	—	3446

जीव विज्ञान वर्ग

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र	—	3838
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र	—	3706

बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष

गणित वर्ग

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र	—	3408
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र	—	3276

जीव विज्ञान वर्ग

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र	—	3648
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र	—	3516

बी.एस.सी. तृतीय वर्ष

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	—	3173
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (एक प्रायोगिक विषय)	—	3041
सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	—	3413
समस्त छात्राएं एवं अनुसूचित जाति के छात्र (दो प्रायोगिक विषय)	—	3281

शुल्क सम्बन्धी अन्य नियम

1. महाविद्यालय में जमा किया हुआ शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा ।
2. महाविद्यालय में शुल्क एक बार में ही जमा किया जायेगा ।
3. शुल्क रसीद परिचय पत्र प्राप्त करने, परीक्षा आवेदन पत्र जमा करते समय प्रस्तुत करना होगा ।
4. महाविद्यालय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने पर भरपाई छात्र/छात्रा के काशन मनी से की जाएगी ।
5. अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष से तीन वर्ष के अन्दर काशन मनी प्राप्त कर लें अन्यथा की स्थिति में दावा मान्य नहीं होगा ।

महाविद्यालय की शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियां—

- **ड्रेस कोड** —महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु परिधान निर्धारित है। छात्रों के लिए सफेद शर्ट व नीली पैन्ट तथा छात्राओं हेतु सफेद सलवार और गुलाबी कमीज व सफेद दुपट्टा निर्धारित है।
- **छात्रवृत्ति** —उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अल्प संख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है । इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश के पश्चात www.scholarship.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा । तथा प्रिंट आउट समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति के साथ जमा करना होगा ।

छात्रवृत्ति केवल उसी छात्र-छात्रा को देय होगी जिसकी उपस्थिति 75% से अधिक होगी ।

- **पुस्तकालय** –विद्यार्थियों के अध्ययन को सुचारू एवं अबाध गति से चलते रहने के लिए पुस्तकालय में पुस्तकें प्राप्त करने की व्यवस्था है । पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस में खुलें रहेंगे । पुस्तकालय पूर्ण रूप से आटोमेटेड है ।
- **क्रीड़ा परिषद**—जीवन में क्रीड़ा के महत्व को स्वीकार करते हुए महाविद्यालय में क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया है, जो सत्र पर्यन्त क्रीड़ा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों को सम्पन्न कराती है। वर्ष में एक वृहद क्रीड़ा समारोह का आयोजन भी होता है।
- **रोवर्स एवं रेंजर्स दल**—रोवर्स एवं रेंजर्स दल का उद्देश्य छात्र/छात्राओं का शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करके उनमें परस्पर प्रेम, सहयोग, भातृत्व, अनुशासन तथा नेतृत्व की भावना भरकर सेवा कार्य के लिए प्रेरित करना है। एक रोवर्स एवं रेंजर्स दल में 24 सदस्य होंगे जो वर्ष पर्यन्त विभिन्न क्रिया कलाओं में संलग्न रहते हैं।

रोवर्स प्रभारी डॉ ब्रजेश सिंह एवं रेंजर्स प्रभारी डॉ भावना सिंह हैं।

- **राष्ट्रीय सेवा योजना**—राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से स्नातक स्तरीय युवा छात्र/छात्राओं की श्रम साधना, शक्ति एवं सृजनात्मक प्रतिभा को समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा के प्रति जाग्रत किये जाने का विधान है। इस योजना के अन्तर्गत श्रमदान, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, मतदाता जागरुकता, नशा उन्मूलन एवं अन्य समाज सेवा सम्बन्धी कार्यों के सामान्य शिविर के अतिरिक्त सात दिवसीय दिन-रात का विशेष शिविर भी आयोजित होता है।
राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई प्रथम के कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश कुमार और राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाई द्वितीय के कार्यक्रम अधिकारी डॉ अनीश कुमार मिश्र हैं।
- **महाविद्यालय पत्रिका प्रबोधनी**—महाविद्यालय प्रतिवर्ष प्रबोधनी पत्रिका का प्रकाशन करता है जिसका मूल उद्देश्य छात्र/छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित एवं परिष्कृत करना होता है। प्रधान सम्पादक पत्रिका में प्रकाशनार्थ सामग्री, कहानी, कविता, लेख, एवं निबन्ध इत्यादि छात्र/छात्राओं से आमंत्रित करते हैं।
- **कैरियर काउंसिलिंग केन्द्र**—इसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम एवं रोजगार संबंधी सलाह एवं दिशा-निर्देश दिये जाते हैं तथा रोजगार की अद्यतन स्थितियों से अवगत कराते हुए सक्रिय रहने के लिए सुझाव व प्रेरणा दी जाती है।
- **विभागीय परिषद एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ**—महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं की रचनात्मक ऊर्जा एवं प्रतिभा के सार्थक कार्यों में प्रवृत्त करने और उनकी गुणवत्ता को

आलोक में लाने हेतु सभी विभागों द्वारा विभागीय परिषदों का गठन किया जाता है जिसके अर्न्तगत वाद-विवाद, भाषण, प्रश्नोत्तरी एवं निबन्ध लेखन विषयक प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। महाविद्यालय में प्रसार व्याख्यान माला, विभागीय सेमिनार, नाट्य मंचन एवं गायन प्रतियोगिताएँ भी समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।

- **परिचय पत्र** –महाविद्यालय में प्रवेश के तुरंत पश्चात महाविद्यालय के मुख्य शास्ता से परिचय पत्र प्राप्त करना होगा जिसे प्रतिदिन महाविद्यालय में साथ लाना अनिवार्य होगा।
- **महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ** –महाविद्यालय में छात्राओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ प्राध्यापिकाओं की अध्यक्षता में एक महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम –2013 के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय स्तर पर आन्तरिक परिवाद समिति का भी गठन किया गया है।
- **आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ** –महाविद्यालय के शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, छात्रों के निरंतर मार्ग दर्शन, समस्याओं के निवारण, अभिविन्यास एवं प्लेसमेंट में सहायता हेतु एक आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है।

महाविद्यालय परिवार के सदस्यों का विवरण

प्रो० (डॉ) मुरलीधर राम
प्राचार्य

कला संकाय

विभाग का नाम

हिन्दी विभाग

समाजशास्त्र विभाग

शारीरिक शिक्षा विभाग

मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास

भूगोल विभाग

अंग्रेजी विभाग

संस्कृत विभाग

प्राध्यापक का नाम

- सुश्री शिखा तिवारी (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- श्री गौतम गुप्ता (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- सुश्री पूनम द्विवेदी (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- सुश्री ऋत्विक् रंजन सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- श्री बृजेश कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- डॉ अवधेश कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- डॉ अनीश कुमार मिश्र (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- श्री अमित तिवारी (असिस्टेंट प्रोफेसर)
- डॉ अंकिता तिवारी (असिस्टेंट प्रोफेसर)

विज्ञान संकाय

विभाग का नाम

भौतिक विज्ञान विभाग

रसायन विज्ञान विभाग

प्राध्यापक का नाम

- 1– श्री अनुराग सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर)
 - 2– डॉ राज कुमार सिंह यादव (असिस्टेंट प्रोफेसर)
-
- 1– डॉ श्वेता सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर)
 - 2– रिक्त

गणित विभाग

- 1- डॉ सत्येन्द्र प्रसाद(एसोसिएट प्रोफेसर)
- 2- डॉ भावना सिंह(असिस्टेंट प्रोफेसर)

वनस्पति विज्ञान विभाग

- 1- डॉ यशवीर सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर)
- 2- डॉ माया यादव (असिस्टेंट प्रोफेसर)

जन्तु विज्ञान विभाग

- 1-डॉ आसुतोष कुमार श्रीवास्तव(असिस्टेंट प्रोफेसर)
- 2- डॉ रुस्तम अली (असिस्टेंट प्रोफेसर)

प्रयोगशाला सहायक

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| भौतिक विज्ञान | - रिक्त |
| रसायन विज्ञान विभाग | - रिक्त |
| वनस्पति विज्ञान विभाग | - श्री शैलेश कपिल |
| जन्तु विज्ञान विभाग | - रिक्त |

प्रयोगशाला परिचर

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| भौतिक विज्ञान | - रिक्त |
| रसायन विज्ञान विभाग | - श्री संजय गौड़ |
| वनस्पति विज्ञान विभाग | - श्री देवब्रत मिश्र |
| जन्तु विज्ञान विभाग | - रिक्त |

पुस्तकालय स्टाफ

- | | |
|------------------|---------|
| पुस्तकालयाध्यक्ष | - रिक्त |
| पुस्तकालय परिचर | - रिक्त |

कार्यालय स्टाफ

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| वरिष्ठ कार्यालय सहायक | - श्री गुलाबधर तिवारी |
| कनिष्ठ कार्यालय सहायक | - श्री कुँवर रोहितेश |
| कार्यालय परिचर | - रिक्त |

